

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224025
SG-DL-E-30122020-224025

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 239
No. 283]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 239

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सतर्कता निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सं. फा. 1/04/2001/डीओवी/12921.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” के पद के भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को सतर्कता निदेशालय, “स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	04*(2020) अर्थात्: सतर्कता निदेशालय में चालक के स्वीकृत संख्या बल के 30 प्रतिशत पद *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष * (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—(आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप राज्यों के लिये निर्णायक तिथि उनके लिये निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार होगी)। * यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— (i) मोटर कार हेतु वैद्य ड्राइविंग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर मैकेनिजम का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय : होम गार्ड/सिविल स्वयं सेवक (वालंटियर) के रूप में तीन वर्ष की सेवा। नोट-1 : अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। नोट-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों

		को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: स्थायीकरण पर विचारार्थ वर्ग "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) —अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त) —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी — सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
हरलीन कौर, विशेष सचिव (सतर्कता)

DIRECTORATE OF VIGILANCE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2020

No. F. 01/04/2001/DOV/12921.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make following the rules regulating the method of recruitment to the post of "Staff Car Driver, Ordinary Grade" in the Directorate of Vigilance, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**—(i) These rules may be called "The Directorate of Vigilance Staff Car Driver, Ordinary Grade" Recruitment Rules, 2020.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit and other qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may be order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of the post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Ordinary Grade).	04* (2020) i.e. 30% posts of sanctioned strength of Driver in Directorate of Vigilance. * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix.	Not applicable.	18-25 years.* (Relaxable for government servant's upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by 'direct open competitive Examination', the age limit would be 18-27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor- defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; (iv) Pass in 10 th standard. Desirable: 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteer. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Group-‘C’ DCC for considering confirmation 1. Principal Secretary/Secretary (Power) – Chairperson 2. Head of the Department Concerned – Member 3. Dy. Secretary (Finance) – Member 4. An Officer belonging to SC/ST – Member	Not Applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi.

HARLEEN KAUR, Spl. Secy. (VIG)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सं. फा.1/04/2001/डीओवी/12922.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक,(ग्रेड-II)” के पद के भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को सतर्कता निदेशालय, “स्टाफ कार चालक,(ग्रेड-II)” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :—इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक, (ग्रेड-II)
2.	पदों की संख्या	:	04*(2020) अर्थात्: सतर्कता निदेशालय में चालक के स्वीकृत संख्या बल के 30 प्रतिशत पद *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4, (25,500-81,100 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में नौ वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में, वेतनमान 19900-63200 /-रुपये में तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति पर विचारार्थ वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नति समिति, 1. विशेष/अपर सचिव —अध्यक्ष 2. उप-सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. सहायक लेखाधिकारी —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
हरलीन कौर, विशेष सचिव (सतर्कता)

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2020

N0. 01/04/2001/DOV/12922.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make following the rules regulating the method of recruitment to the post of "Staff Car Driver,(Grade-II)" in the Directorate of Vigilance, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement:-** (i) These rules may be called "The Directorate of Vigilance Staff Car Driver,(Grade-II)" Recruitment Rules, 2020.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix:-**The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc:-**The method of recruitment to the said post, age limit and other qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications:-** No person,
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may be order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

- Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification).	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or non-selection Post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Grade- II).	04* (2020) i.e. 30% posts of sanctioned strength in Directorate of Vigilance.	Group- 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-4, (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Non- Selection.	Non-applicable.

	* Subject to variation dependent on workload.				
--	---	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Scale Rs. 19900-63200 in level-2 of pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: 1. Special/Addl. Secretary - Chairman 2. Deputy Secretary (Admn.) - Member 3. AAO - Member	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi.

HARLEEN KAUR, Spl. Secy.(VIG)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सं. फा. 1/04/2001/डीओवी/12923.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)” के पद के भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को सतर्कता निदेशालय, “स्टाफ कार चालक, (ग्रेड-I)” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव:**—इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक, (ग्रेड-I)
2.	पदों की संख्या	:	05*(2020) अर्थात्: सतर्कता निदेशालय में चालक के स्वीकृत संख्या बल के 35 प्रतिशत पद *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5, (29,200-92,300 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में, वेतनमान 25500-81300/-रुपये में स्टाफ कार चालक ग्रेड-II अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के रूप में पन्द्रह वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति पर विचारार्थ वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नति समिति, 1. विशेष/अपर सचिव —अध्यक्ष 2. उप-सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. सहायक लेखाधिकारी —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
हरलीन कौर, विशेष सचिव (सतर्कता)

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2020

N0. 01/04/2001/DOV/12923.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make following the rules regulating the method of recruitment to the post of "Staff Car Driver, (Grade-I)" in the Directorate of Vigilance, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencement:-** (i) These rules may be called "The Directorate of Vigilance Staff Car Driver,(Grade-I)" Recruitment Rules, 2020.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix:-**The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc:-**The method of recruitment to the said post, age limit and other qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications:-** No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may be order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

- 6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or non-selection Post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver Grade-1.	05* (2020) i.e. 35% posts of sanctioned strength in Directorate of Vigilance. * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5, (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion ; Staff Car Driver Grade-II in Pay Scale Rs 25500-81300 in level -4 of pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years as Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: 1. Special/Addl. Secretary -Chairman 2. Deputy Secretary (Admn.) -Member 3. AAO -Member	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
HARLEEN KAUR, Spl. Secy. (VIG)